हुक्म

27/05/25

आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित 3 हैं सुना गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया व पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तो पाया कि भूमि का बाड़ी मौके पर बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है उपखण्ड का प्रत्येक कृषक को कब्जा मान्य मान्य योग्य है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़ें व कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं हो अतः ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय राज्य द्वारा जारी स्थायी आदेश दिनांक 20.03.25 तक तामिला रखा जाकर किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती हो कार्य बाद तकमील मामला समाप्त रखता हो।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर